

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् के गठन सम्बन्धी जारी अधिसूचना संख्या टी0बी0डी0(ए)4-4/2007 दिनांक 05-04-2013, 23-10-2013 के सन्दर्भ में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जन-जातीय सलाहकार परिषद् नियमावली, 1976 के नियम 3 (1) तथा नियम 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् का कार्यकाल दिनांक 05-04-2015 से दो वर्ष और बढ़ाने के सहर्ष आदेश देते हैं:-

- | | | |
|-----|---|---------|
| 1. | श्री वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश। | अध्यक्ष |
| 2. | श्री ठाकुर सिंह भरमौरी,
वन मंत्री, हिमाचल प्रदेश। | सदस्य |
| 3. | श्री जगत सिंह नेगी,
उपाध्यक्ष, विधान सभा, हिमाचल प्रदेश। | सदस्य |
| 4. | श्री रवि ठाकुर, विधायक, लाहौल एवं स्पिति,
जिला लाहौल एवं स्पिति । | सदस्य |
| 5. | श्री राम सिंह, अधिवक्ता गांव व डाकघर रोपा तहसील पूह,
जिला किन्नौर । | सदस्य |
| 6. | श्री प्रीतम नेगी, गांव व डाकघर पूह,
तहसील पूह, जिला किन्नौर । | सदस्य |
| 7. | श्री जगदीश नेगी, गांव व डाकघर निचार,
तहसील निचार, जिला किन्नौर । | सदस्य |
| 8. | श्री अमर चन्द अधिवक्ता,
गांव व डाकघर शोदारग, तहसील कल्या, जिला किन्नौर । | सदस्य |
| 9. | श्री प्रीतम नेगी, गांव व डाकघर कोठी,
तहसील कल्या, जिला किन्नौर । | सदस्य |
| 10. | श्री नरेश नेगी, गांव व डाकघर स्पिलो,
तहसील पूह, जिला किन्नौर । | सदस्य |

- | | | |
|-----|---|-------|
| 11. | श्री नावांग बौद्ध, गांव शारखांग,
डाकघर खोकसर, तहसील केलांग,
जिला लाहौल एवं स्पिति । | सदस्य |
| 12. | श्री प्यारे लाल, गांव व डाकघर टिण्डी,
तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति । | सदस्य |
| 13. | श्री सोहन सिंह, गांव व डाकघर काजा,
तहसील स्पिति, जिला लाहौल एवं स्पिति । | सदस्य |
| 14. | दोरजे छोपल, पूर्व प्रधान, गांव व डाकघर लारा,
तहसील काजा, जिला लाहौल स्पिति | सदस्य |
| 15. | श्री किशन चौपडा, पूर्व प्रधान,
ग्राम पंचायत करयास गंगीथ, डाकघर करयास,
तहसील किलाड (पांगी), जिला चम्बा । | सदस्य |
| 16. | श्री राम चरण, पूर्व अध्यक्ष ऊन संघ, (woolfed)
गांव व डाकघर, किलाड, तहसील किलाड (पांगी),
जिला चम्बा । | सदस्य |
| 17. | श्री भजन सिंह ठाकुर, गांव व डाकघर भरमौर,
तहसील भरमौर, जिला चम्बा । | सदस्य |
| 18. | श्री शुभ कर्ण, गांव व डाकघर होली,
उप तहसील होली, जिला चम्बा । | सदस्य |

2. जन जातीय सलाहकार परिषद् में मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार पदेन सचिव व आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव जन जातीय संयुक्त पदेन सदस्य होंगे।

3. कम संख्या 5 से 18 तक अंकित सदस्य उनके मनोनयन की तिथि से नियम 5(2 तथा 3) के अन्तर्गत इस परिषद् के, दो वर्ष की अवधि के लिए पदासीन रहेंगे परन्तु इन्हें इस अवधि से पूर्व भी राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, की खुशनुदी पर दो वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व भी सदस्यता से हटाया जा सकता है।

4. इस परिषद् के सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों के अनुसार वर्णित यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा।

5. उप-निदेशक (जन जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश, गैर सरकारी सदस्यों के

यात्रा भत्ता की अदायगी के सम्बन्ध में नियन्त्रक अधिकारी होंगे।

आदेश द्वारा,
(वी०सी०फारका)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: टी०बी०डी०(ए)४-४/२००७

दिनांक शिमला-२,

३० मार्च, २०१५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-१७१००२ ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला-१७१००२ ।
3. निजि सचिव, अध्यक्ष हि०प्र० विधान सभा, शिमला-१७१००४ ।
4. निजि सचिव, माननीय मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-१७१००२ ।
5. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-१७१००२ ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
8. आवासीय आयुक्त, पांगी स्थित किलाड, जिला चम्बा, हि० प्र० ।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, स्पिति स्थित काजा, हिमाचल प्रदेश ।
10. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हि० प्र० ।
11. परियोजना अधिकारी आई०टी०डी०पी० किन्नौर, केलोंग, काजा, पांगी तथा भरमौर हिमाचल प्रदेश को पांच-पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
12. समस्त सदस्यगण कम संख्या ५ से १८ तक ।
13. संयुक्त सचिव (टी डी) जन-जातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-११०००१ ।
14. निदेशक, अनुसूचित जाति / जन-जाति राष्ट्रीय आयोग, छठी मंजिल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर ९-ए, चण्डीगढ़-१६००१७ ।
15. अतिरिक्त आयुक्त (जन-जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश को ५ अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है ।
16. निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला-२, को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
17. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि० प्र०, शिमला-५ को उक्त अधिसूचना को हि० प्र० राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशित करने हेतु । उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजें ।

अवर सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
जनजातीय विकास विभाग
संख्या: टी0बी0डी0(ए)4-4/2007 दिनांक, शिमला-171002 30 मार्च, 2015

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 17 फरवरी, 2014 के अनुक्रम को जारी रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित महिलाओं को विशेष आमन्त्रित (Special Invitee) मनोनीत करने के सहर्ष आदेश देते हैं:-

1. श्रीमति सुमना देवी, पत्नि श्री ओम राज,
गाँव व डाकघर सियुर, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
2. कुमारी सरोज नेगी, पूर्व अध्यक्षा, पंचायत समिति कल्पा
गाँव व डाकघर कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
3. श्रीमति शशी किरन, अध्यक्षा, महिला कांग्रेस, लाहौल एवं स्पिति
डाकघर केलंग, जिला लाहौल-स्पिति, हि0 प्र0।
4. कृ0 गतुक आंगमों, पिन वैली, स्पिति, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वारा,
(वी0सी0फारका)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: टी0बी0डी0(ए)4-4/2007, दिनांक शिमला-2, 30 मार्च, 2015
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला-171002।
3. निजि सचिव, अध्यक्ष हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-171004।
4. निजि सचिव, माननीय मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002।
5. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
8. आवासीय आयुक्त, पांगी स्थित किलाड़, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, स्पिति स्थित काजा, हिमाचल प्रदेश।
10. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
11. परियोजना अधिकारी आई0टी0डी0पी0 किन्नौर, केलंग, काजा, पांगी तथा भरमौर हिमाचल प्रदेश को पांच-पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
12. समस्त गैर सरकारी सदस्यगण जन जातीय सलाहकार परिषद् उपरोक्त सम्बन्धित विशेष आमन्त्रितों को।
13. संयुक्त सचिव (टी डी) जन-जातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1
14. निदेशक, अनुसूचित जाति / जन-जाति राष्ट्रीय आयोग, छठी मंजिल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर 9-ए, चण्डीगढ़-160017।
15. अतिरिक्त आयुक्त (जन-जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।
16. निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2, को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
17. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 को उक्त अधिसूचना को हि0 प्र0 राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशित करने हेतु उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजे।

अवर सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।